उदयलाल बनाम बाबूलाल पचेरवाल

अपील संख्या : 2020 / 00026

22.03.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और कथन किया था कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी उनकी माता श्रीमती कंकू बाई को आवंटित हुई थी । संवत् 2032–35 की जमाबन्दी में वादी की माता का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है । वादी की माता का देहान्त हो चुका है । वादी के पिता का भी देहान्त हो चुका है और इस पर वादी का कब्जा है । पत्रावली में सरकार के द्वारा जवाब पेश किया और यह कथन किया गया कि आराजी के गैर खातेदार अपीलान्ट हैं और उनका कब्जा है । इसके बाद वादी की ओर से अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर आगामी तारीख दिनांक 21.03.2017 दी गई । दिनांक 10.05.2017 को ए0डी0 से सम्मन पेश करने का आदेश कर दिया गया और दिनांक 22.06.2017 की तारीख दी गई । दिनांक 25.07.2017 को अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलान्ट को हुआ था । भूमि अपीलान्ट की गैर–खातेदारी की है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने विलम्ब के शमन के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है और उसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात भी पेश किये हैं । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2017 निरस्त फरमाया जावे । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे क्योंकि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2017 का है इसके खिलाफ अपील दिनांक 03.02.2020 को पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । दिनांक 25.07.2017 को विधि सम्मत रूप से तामील हो जाने के उपरान्त भी जब अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । जब पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया है और सम्मन वापस प्राप्त नहीं हुआ है तो इसको तामील

माना जावेगा । आरएलडब्ल्यू 2003 (1) (एससी) पेज 46 यहॉ चस्पा होती है। धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना में अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर हुई उसके बाद भी अपील दिनांक 03.02.2020 को पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा दौराने बहस यह कथन किया है कि सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे । तद्नुसार धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्राथमिक रूप से निस्तारण किया जा रहा है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 25.07.2017 को एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28.08.2017 के खिलाफ दिनांक 03.02.2020 को अपील पेश की है जो कि विलम्ब से पेश की गई है । अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2019 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं । अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें जवाबदेही का अवसर नहीं मिला है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनको आवंटित हुई थी व उनकी गैर खातेदारी में दर्ज है । तहसीलदार द्वारा पेश जवाबदावे में भी यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण की गैर खातेदारी में है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । अतः नरम रूख रखते हुए अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05.04.2021 को पेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5/4/21 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्यस्थगन
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/4/21 को वास्ते बहस पेश हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7/4/21 पक्षीगण अधिवक्ता उपस्थित। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल से स्टे व तलबी मिसल प्राप्त हुई है। माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 27/5/21 तारीख पेशी नियत है उक्त प्रकरण नियत तारीख पेशी दिनांक से पूर्व राजस्व मण्डल को भिजवा दिया जावे। बाद निर्णय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा